

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल नं. प्र. ग्वालियर

P.R. / निगरानी / श्रोपाल / प्र०क्र० / निगरानी / पी०बी०आर० / 2017
प्र०क्र० / १५९५

- 1— श्रीमती रुखसाना हसन पत्नी स्व० श्री शमसुल हसन
- 2— श्रीमती सल्तनत हसन पत्नी वाजिद खान
- 3— श्रीमती फौजिया हसन पत्नी अजहर खान
- 4— श्रीमती नादरा हसन पत्नी आसिफ खान
तीनों पुत्रीगण स्व० श्री शमसुल हसन
- 5— कमाल हसन पुत्र स्व० श्री शमसुल हसन
- 6— शाहरुख हसन पुत्र स्व० श्री शमसुल हसन
- 7— नदीम हसन पुत्र स्व० श्री शमसुल हसन

समर्पित वयस्क एवं

निवासीगण—म०नं०३१पारस नगर भोपाल

—निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

- श्रीमती शाहजहाना खान पुत्री स्व. मोहम्मद खान
निवासी—बंगला नं.-1, अहमदाबाद पेलेस
कोहेफिजा भोपाल
- अकबर हसन खान पुत्र स्व. मोहम्मद खान
- आजम हसन खान पुत्र मोहम्मद हसन खान
निवासीगण—रियाज मंजिल, खानूगांव भोपाल

—रेस्पांडेंटगण

निगरानी अन्तर्गत धारा—५० भू—राजस्व संहिता—१९५९

माननीय महोदय,


निगरानीकर्तागण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्र०क्र० 15/अप्रैल/2016-17 में पारित आदेश दिनांक—23.02.2018 (जो कि न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार तहसील हुजूर के प्र०क्र० 110/अ-६/2015-16 में पारित आदेश दिनांक—20.06.2016 से उद्भूत है) से परिवेदित होकर निर्धारित समयावधि में निगरानी प्रस्तुत कर रहे हैं।

6/3/18
फाइल दिनांक
6/3/18

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भ्रा/2018/1595

संशान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26-11-18	<p>आवेदक अधिवक्ता श्री डी०डी०मेघानी उपस्थित।</p> <p>आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>म०प्र०भ०-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है।</p> <p>उभयपक्ष दिनांक 24-12-2018 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p> (मनोज गोयल)</p> <p> अध्यक्ष</p>	